न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री वीरमा राम आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 240 / 2025

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 दैय्या प्रकाश पुत्र ठाकराराम जाति दर्जी निवासी राधेश्याम सोसायटी सांवली बड़ौदरा गुजरात 2 दर्जी महेश भाई पुत्र ठाकराराम जाति दर्जी निवासी विशाला आगोर तहसील व जिला बाडमेर हाल निवासी धनेश्वर सोसायटी, ईडर, साबरकांठा, गुजरात		1 ओमप्रकाश 2 ताराचन्द 3 मनोहर कुमार पिसरान ठाकराराम 4 मांगीदेवी पत्नी ठाकराराम जाति दर्जी निवासी विशाला आगोर तहसील व जिला बाडमेर हाल निवासी धनेश्वर सोसायटी, ईडर, साबरकांठा, गुजरात 5 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 RLR Act.

उपस्थिति :–

1. श्री हितेश गोयल, वकील प्रार्थी पक्ष।
2. श्री कपिल दान, वकील अप्रार्थीगण पक्ष।

आदेश

दिनांक 08/07/2025

संक्षिप्त में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 04 एक ही परिवार के सदस्य है जो ठाकरा के वारिसान है, जिनकी संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा सेजुओं की ढाणी पटवार हल्का विशाला के खेत खसरा संख्या 792 / 138 रकबा 13.0551 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। ठाकराराम का देहान्त 2015 होने पर उनके विरासतन के नामान्तकरण पटवारी हल्का द्वारा खोला गया जिसमे प्रार्थीगण का दस्तावेजी नाम दैय्या प्रकाश व दर्जी महेश भाई अंकित था परन्तु पटवारी हल्का द्वारा गलत नाम पृथ्वीराज पुत्र ठाकरा व महेन्द्र कुमार पुत्र ठाकरा अंकित कर दिया गया। प्रार्थीगण गुजरात में सिलाई का कार्य करते है जिसके कारण उन्हे उक्त नामान्तकरण का ज्ञान नही हुआ। प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण को कई पेचिदिगियों व परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा सेजुओं की ढाणी पटवार हल्का विशाला के खेत खसरा संख्या 792 / 138 रकबा 13.0551 हैक्टेयर भूमि में दर्ज प्रार्थीगण का राजस्व रेकर्ड में गलत नाम पृथ्वीराज पुत्र ठाकरा व महेन्द्र कुमार पुत्र ठाकरा के स्थान पर दैय्या प्रकाश पुत्र ठाकराराम व दर्जी महेश भाई पुत्र ठाकराराम दर्ज करवाने का आदेश फरमावें।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के वकील उपस्थित। वकील अप्रार्थीगण को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब प्रस्तुत नही किया। लिहाजा वकील अप्रार्थीगण का जवाब बन्द किया गया। तहसीलदार बाडमेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार बाडमेर ने अपने पत्रांक भू.अ. / 2025 / 1385 दिनांक 27.05.2025 को रिपोर्ट इस आशय की उपलब्ध करवाई कि मौजा सेजुओं की ढाणी पटवार हल्का विशाला के खेत खसरा संख्या 792 / 138 रकबा 13.0551 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण का नाम पृथ्वीराज पुत्र ठाकरा व महेन्द्र कुमार पुत्र ठाकरा अंकित है। नामान्तकरण संख्या 339 अनुसार खातेदार ठाकरा पुत्र विशना दिनांक 28.01.2015 को फौत होने पर फौतगी व हकत्याग नामान्तरण दिनांक 04.03.2015 को पंजीयन संख्या 201503078100448 का नामान्तकरण भरा गया जिसमे पृथ्वीराज ओमप्रकाश महेश कुमार मनोहर कुमार ताराचन्द पिसरान ठाकराराम व मांगीदेवी पत्नी ठाकराराम कौम दर्जी दिनांक 20.03.2015 को स्वीकृत किया गया। ग्राम

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

सेजुओं की ढाणी की जमाबन्दी संवत 2070–2073 जमाबन्दी के खाता संख्या 36 के खसरा संख्या 782/138 में अलमदरामद करते वक्त पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण संख्या 339 में पृथ्वीराज ओमप्रकाश महेन्द्र कुमार मनोहर कुमार ताराचन्द्र पिसारान ठाकराराम मांगीदेवी पतनी ठाकराराम दर्ज किया गया। प्रार्थीगण द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 240/2025 में धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पृथ्वीराज पुत्र ठाकराराम के स्थान पर दैय्या प्रकाश पुत्र ठाकराराम व महेन्द्र कुमार पुत्र ठाकराराम के स्थान पर दर्जी महेश भाई पुत्र ठाकराराम चाहा है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। उभय पक्षों द्वारा तहसीलदार बाड़मेर की तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का नाम शुद्ध किये जाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट अनुसार नाम शुद्ध करने पर अपनी सहमति व्यक्त की। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 स्वयं उपस्थित होकर उक्तानुसार नाम शुद्ध करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज यथा जमाबन्दी संवत् 2074–2077 एवं आधार कार्ड, पेन कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र व अन्य दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाड़मेर ने रिपोर्ट में अंकित किया है कि मौजा सेजुओं की ढाणी पटवार हल्का विशाला के खेत खसरा संख्या 792/138 रकबा 13.0551 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण का नाम पृथ्वीराज पुत्र ठाकरा व महेन्द्र कुमार पुत्र ठाकरा अंकित है। नामान्तकरण संख्या 339 अनुसार खातेदार ठाकरा पुत्र विशना दिनांक 28.01.2015 को फौत होने पर फौतगी व हकत्याग नामान्तरण दिनांक 04.03.2015 को पंजीयन संख्या 201503078100448 का नामान्तकरण भरा गया जिसमे पृथ्वीराज ओमप्रकाश महेश कुमार मनोहर कुमार ताराचन्द पिसरान ठाकराराम व मांगीदेवी पत्नी ठाकराराम कौम दर्जी से दिनांक 20.03.2015 को स्वीकृत किया गया। ग्राम सेजुओं की ढाणी की जमाबन्दी संवत 2070–2073 जमाबन्दी के खाता संख्या 36 के खसरा संख्या 782/138 में अलमदरामद करते वक्त पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण संख्या 339 में पृथ्वीराज ओमप्रकाश महेन्द्र कुमार मनोहर कुमार ताराचन्द्र पिसरान ठाकराराम मांगीदेवी पतनी ठाकराराम दर्ज किया गया। लिहाजा मौजा सेजुओं की ढाणी पटवार हल्का विशाला के खेत खसरा संख्या 792/138 रकबा 13.0551 हैक्टेयर भूमि में खातेदार "पृथ्वीराज पुत्र ठाकराराम के स्थान पर दैय्या प्रकाश पुत्र ठाकराराम व महेन्द्र कुमार पुत्र ठाकराराम के स्थान पर दर्जी महेश भाई पुत्र ठाकराराम" शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा सेजुओं की ढाणी पटवार हल्का विशाला के खेत खसरा संख्या 792/138 रकबा 13.0551 हैक्टेयर भूमि में खातेदार "पृथ्वीराज पुत्र ठाकराराम के स्थान पर दैय्या प्रकाश पुत्र ठाकराराम व महेन्द्र कुमार पुत्र ठाकराराम के स्थान पर दर्जी महेश भाई पुत्र ठाकराराम" शुद्ध किया जाता है। तहसीलदार बाड़मेर तदनुसार समस्त राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 08/07/2025 को सरें ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर